

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 (1) 2014/कार्मिक-भर्ती/प्रमुवसं/

दिनांक

बैठक सूचना

राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र, अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के नियम भाग-1A 4.5 एवं 6 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र हेतु पृथक केडर का गठन किया जाना है। उक्त नियम 6 (3) के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र के केडर में रहने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों से प्राप्त विकल्प पत्रों की स्क्रूटनिंग कर उचित निर्णय लेने हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 8393-420 दिनांक 07.08.2015 से कमेटी गठित की गई थी।

उक्त कमेटी की बैठक दिनांक 01.10.2015 को प्रातः 10.30 बजे से 1.00 बजे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HOFF) राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में उनके के कक्ष के समीप स्थित हॉल में मीटिंग बैठक का आयोजन किया गया है। उक्त बैठक में अधीनस्थ कर्मचारियों से प्राप्त विकल्प पत्रों का परीक्षण कर आवश्यक निर्णय लिया जाना है। अतः उक्त बैठक में निम्नांकित अधिकारियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है।

1. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर
2. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर
3. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर
4. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जोधपुर
5. मुख्य वन संरक्षक, आर.वी.पी. कोटा।

उपरोक्त अधिकारियों से निवेदन है कि वह इस बैठक में उपस्थित होकर अपने क्षेत्र के अधीन विकल्प पत्रों को गठित कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करें।

हस्ता

(शिखा मेहरा)

मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 (1) 2014/कार्मिका/प्रमुवसं/10741-48

दिनांक 29-9-2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ.) राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) राजस्थान जयपुर।
3. नोडल अधिकारी मुख्य वन संरक्षक उदयपुर/जोधपुर/वन्यजीव, उदयपुर/वन्यजीव, जोधपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि वे बैठक में समस्त विकल्प-पत्र एवं सूचना के साथ उपस्थित हों।
4. मुख्य वन संरक्षक, आर.वी.पी. कोटा।
5. रक्षित पत्रावली।

Shikha

(शिखा मेहरा)

मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर